

संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश

(भूतल “डी” विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in

E-mail: ayushmission.mp@mp.gov.in

Office(0755) 2763044

Fax - (0755) 2760225

क्रमांक/10/आयुष मिशन/20/F.MO-18/02

भोपाल, दिनांक 06/01/2021

//विज्ञापन//

राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत म.प्र. आयुष विभाग प्रदेश के आयुष हेल्थ एण्ड वैलनेस केन्द्रों में संविदा पर सेवाएं देने हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हताधारी आवेदकों से M.P. Online वेबसाइट www.mponline.gov.in पर दिनांक 25.01.2021 तक आवेदन आमंत्रित है। उक्त वेबसाइट पर चयन संबंधी नियम एवं आवश्यक जानकारी उपलब्ध है। संलग्न नियम पुस्तिकानुसार चयन परीक्षा (लिखित एवं साक्षात्कार) में चयनित अभ्यार्थियों को आयुष हेल्थ एण्ड वैलनेस केन्द्रों पर संविदा आधार पर व्यापक आयुष हेल्थ एण्ड वैलनेस सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने हेतु आयुष कम्युनिटी हेल्थ ऑफीसर के रूप में सेवाएं देना होगी।

- आयु सीमा अनारक्षित वर्ग हेतु 21 से 40 वर्ष दिनांक 01.01.2021 तक हो। महिला उम्मीदवारों तथा आरक्षित वर्ग हेतु आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अर्थात् 45 वर्ष मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार होगी।
- केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार्य किये जावेंगे।
- M.P. Online में पंजीयन एवं ऑनलाईन परीक्षा शुल्क अभ्यार्थियों के द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
- कुल 337 पदों पर आरक्षण निम्नानुसार लागू होगा।

कुल पद	अनारक्षित		अनारक्षित EWS		अन्य पिछड़ा वर्ग		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		दिव्यांग	
337	91		34		91		54		67		20	
	म.	ओपन	म.	ओपन	म.	ओपन	म.	ओपन	म.	ओपन	म.	ओपन
	30	61	11	23	30	61	18	36	22	45	7	13

*नोट- विज्ञापन में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 14 प्रतिशत के मान से पद पूर्ति की जायेगी। जो निम्नानुसार होगी:- (कुल 47 - महिला 16 एवं ओपन 31) शेष 44 पद मा. न्यायालय के अंतिम निर्णय तक खाली रखें जायेंगे। दिव्यांग का आरक्षण होरिजोन्टल होगा। जिसमें दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित दिव्यांगता अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा में। हाथों की दिव्यांगता को छोड़कर शेष प्रकार की अस्थि बाधित दिव्यांगता स्वीकार्य, जिसकी अधिकतम सीमा 60 प्रतिशत स्वीकार्य।

शैक्षणिक अर्हताएः-

- भारतीय विकित्या केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों अथवा भारतीय विश्वविद्यालयों या संबद्ध महाविद्यालयों से बी.ए.एम.एस. उत्तीर्ण उम्मीदवार।

चयनित उम्मीदवारों के लिये दिशा निर्देश:-

- आयुष हेल्थ एण्ड वैलनेस केब्ड शासकीय आयुष औषधालयों को उन्नत कर स्थापित किये जा रहे हैं। अतः सेवाएं आयुष औषधालय स्तरीय क्षेत्रों में ही प्रदान करना होगी। अन्यत्र पदस्थापना नहीं की जा सकेगी।
- यह नियुक्ति संविदा के आधार पर 01 वर्ष के लिये है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार की अनुमति के पश्चात ही नियुक्तिकाल में वृद्धि की जा सकेगी।
- चयनित अभ्यार्थियों को मेरिट अनुसार पदस्थापना की जावेगी।
- चयन परिणाम जारी होने के पश्चात आयुष औषधालय स्तरीय आयुष हेल्थ एण्ड वैलनेस केब्ड का आवंटन किया जावेगा।
- कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व निर्धारित प्रोफर्मा में 01 वर्ष तक कार्य संपादित करने हेतु बंद पत्र (Bond) निष्पादित किया जाना होगा।
- आयुष कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में नियुक्ति होने के पश्चात राष्ट्रीय आयुष मिशन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय प्रति माह देय होगा।

माझे ५११८
(प्रतीक हजेला)
आयुक्त
संचालनालय आयुष, म.प्र.



राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष विभाग म.प्र. के अंतर्गत
कम्युनिटी हेल्थ ऑफीसर चयन नियम 2021

5.4 कोई भी उम्मीदवार जिसके विरुद्ध आपराधिक मामला पुलिस/न्यायालय में सजा हुई हो वह चयन के लिये अन्वृत होगा।

6. चयन प्रक्रिया :-

- 6.1 (CHO) पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा/ साक्षात्कार के माध्यम से होगा। इस हेतु एम.पी. ऑनलाईन मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा ऑनलाईन चयन परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसका शुल्क अभ्यार्थी को स्वयं वहन करना होगा।
- 6.2 कम्युनिटी हैल्थ आफीसर हेतु चयन के लिये एम.पी. ऑनलाईन द्वारा आयोजित ऑनलाईन परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। चयन हेतु रैंकिंग (मेरिट सूची) इन्हीं अंकों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
- 6.3 एम.पी.ऑनलाईन से प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा। अंतिम चयन हेतु अंक का अनुपात लिखित परीक्षा 80% एवं साक्षात्कार 20% का होगा।
- 6.4 अत्याधिक आवेदन प्राप्त होने पर 1:3 अनुपात में साक्षात्कार हेतु अभ्यार्थी उपलब्ध होने हेतु लिखित परीक्षा M.P. Online के माध्यम से की जायेगी।
- 6.5 उक्त मानदण्डों के अनुरूप चयनित अभ्यार्थियों की संख्या कुल पदों की संख्या से कम होने पर आयुक्त आयुष म.प्र. आवश्यकतानुसार न्यूनतम अंकों की सीमा में कमी करने की कार्यवाही हेतु सक्षम होंगे।
- 6.6 मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत नियुक्त COVID- 19 कार्यानुभवी अभ्यार्थी को साक्षात्कार में वरीयता दी जावेगी।
- 6.7 समान अंक होने की स्थिति में निम्नानुसार वरीयता निर्धारण किया जायेगा:-
- 6.7.1 जिस अभ्यार्थी की उम्र ज्यादा होगी वह मेरिट में दूसरे अभ्यार्थियों से ऊपर होगा।
- 6.7.2 समान उम्र होने की स्थिति में जिस अभ्यार्थी का कार्यानुभव ज्यादा होगा वह मेरिट में दूसरे अभ्यार्थियों से ऊपर होगा।
- 6.7.3 समान कार्यानुभव होने की स्थिति में जिस अभ्यार्थी का स्नातक में ज्यादा अंक होगा वह मेरिट में दूसरे अभ्यार्थियों से ऊपर होगा।
- 6.8 परीक्षा एवं साक्षात्कार की मेरिट के आधार पर हैल्थ एण्ड वैलनैस केन्द्र आवंटित किया जावेगा।

7. कम्युनिटी हैल्थ आफीसर के चयन हेतु अन्य निर्धारित दिशा निर्देश :-

- 7.1 अनुभव प्रमाण पत्र (चिकित्सा क्षेत्र में किसी आयुष विधा में पंजीकृत संस्था में किये गये कार्य का)।
- 7.2 सत्यापन प्रक्रिया में मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी मूल प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में उम्मीदवार अपात्र माने जायेगा एवं चयन नहीं किया जावेगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

8. चयन रद्द करना :-

यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर अथवा सुसंगत तथ्यों को छुपाकर चयन में सफल हो जाता है या चयन के पश्चात् प्रमाण-पत्र फर्जी पाये गये एवं चूकवश चयन हो गया हैं तो उम्मीदवार का चयन तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जाएगा। चयन संबंधी किसी भी विवाद में आयुक्त आयुष का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।


9. चयनित उम्मीदवार को संविदा आधार पर कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर के रूप में हैल्थ वैलनैस सेन्टर जो आवंटित होगा में सेवायें देने हेतु आदेशित किया जावेगा। कार्यावधि के दौरान भारत सरकार राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत इन्हें मध्य प्रदेश के लिये निर्धारित मानदेय प्रतिमाह देय होगा।

७. कम्युनिटी हैल्थ आफीसर में वयन के परवार कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर के रूप में पदस्थापना के लिये नीति के निर्धारण एवं नियम के अर्थ लगाने हेतु आयुक्त आयुष ऑफिस प्राक्षिकारी रहेगा।

८. वयन प्रक्रिया नियमों में संशोधन का अधिकार:—

आयुक्त आयुष मप्र. वयन के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। इस तरह विद्या ग्रन्थ कोई भी संशोधन मालक करना बंदनकारी होगा।

कम्यूनिटी हैल्थ अफेसर हेतु
आवेदन पत्र का प्रारूप



1. उम्मीदवार का नाम
2. घिता/पति का नाम
3. जाति (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग,
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति)
यदि आरक्षित वर्ग के हैं तो प्रमाण पत्र अपलोड करें।
4. जन्मतिथि (10वीं की अंकसूची)
5. व्यवहारिक पता
6. आधार नम्बर
7. ई-मेल आई डी
8. मोबाइल नम्बर
9. अहताकारी परीक्षा (बी.ए.एम.एस.)उत्तीर्ण करने का वर्ष एवं संस्था का नाम
.....
10. कार्यानुभव
11. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद का जीवित/ अद्यतन पंजीयन दिनांक -
12. पदस्थापना हेतु चाहा गया जिला/ सेंटर

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
- 7.....
- 8.....
- 9.....
- 10.....
- 11.....
- 12.....
- 13.....
- 14.....
- 15.....
- 16.....
- 17.....
- 18.....
- 19.....
- 20.....
- 21.....
- 22.....
- 23.....
- 24.....
- 25.....
- 26.....
- 27.....

- 28.....
29.....
30.....
31.....
32.....
33.....

समस्त प्रमाण फत्रों की छायाप्रति स्वयं सत्यापित कर अपलोड करें।

आवेदक का नाम—
हस्ताक्षर —
जिला —

धोषणा कक्ष

- मैं धोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन प्रतिस्तिथि किया जा सकेगा।
- मैं प्रमाणित करती हूँ कि मुझे किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी घाया गया है और न ही मेरे किलद्द इस प्रकार का कोई भी प्रकरण किसी भी न्यायालय में कियाराधीन है।

दिनांक

स्थान.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

आयुक्त आयुष
मध्यप्रदेश